(1)

राजस्थान सरकार, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

अनुसूचित (टी.एस.पी.) क्षेत्र में वनरक्षकों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

क्रमांकः–एफ15(1)2015/कार्मिक–भर्ती/प्रमुवसं/ 11406 दिनांकः 16/10/15

वन विभाग राजस्थान में राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत वनरक्षक की सीधी भर्ती के वन मण्डलवार कुल 327 रिक्त पदों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। यह आवेदन पत्र (ऑन लाईन) दिनांक 16.11.2015 से 02.12.2015 तक भरे जा सकते है। नियुक्ति अधिकारी तथा उनके कार्यालय में भरे जाने वाले पदों का इकजाई विवरण निम्नानुसार है:–

वनरक्षक के रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण :–

क्र. सं.		वनरक्षक के रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण (टी.एस.पी क्षेत्र)			
		अनारक्षित टी.एस.पी क्षेत्र	अनु0 जाति (टी.एस.पी क्षेत्र)	अनु0 ज0जा0 (टी.एस.पी क्षेत्र)	योग
1	उवसं, उदयपुर (टी.एस.पी.)	52	1	38	91
2	उवसं, उदयपुर (उत्तर) (टी.एस.पी.)	17	2	12	31
3	उवसं, डूंगरपुर (टी.एस.पी.)	16	12	0	28
4	उवसं बांसवाड़ा(टी.एस.पी.)	30	3	15	48
5	उवसं, प्रतापगढ (टी.एस.पी.)	40		20	60
6	उवसं सिरोही टी.एस.पी	3		1	4
7	उवसं वजी माउण्ट आबू (सिरोही) (टी.एस.पी.)	9			9
8	उवसं वजी चित्तौडगढ (टी.एस.पी.)	8	1	12	21
9	उवसं वन्य जीव उदयपुर (टी.एस.पी.)	16		19	35
	योग	191	19	117	327

नोटः–1 पदों की संख्या में कमी / वृद्वि की जा सकती है।

2. यह पद वन मण्डल अधीन भर्ती का होने के कारण आरक्षण मण्डलवार ही देय है, तदानुसार ही दर्शाया गया है।

3 यह भर्ती वन मण्डलवार पदों हेतु है, परंतु सुविधा के लिए विज्ञप्ति इकजाई जारी की जा रही है।

1. वेतनमानः– 5200–20200 (पी बी–1) ग्रेड पें 2000/–

परिवीक्षा के दो वर्ष के दौरान उक्त पद पर नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों को पूर्ण वेतन प्राप्त होगा अथवा वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 12 (6) एफ.डी./(रुल्स)/05 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार फिक्सड वेतन रुपये 7080/– प्रतिमाह, यह माननीय सर्वोच्य न्यायालय में विचाराधीन तत्संबंधी विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगा।

2. आरक्षणः–

उपरोक्त पदों मे प्रवर्गवार आरक्षण नियमानुसार निर्धारित रोस्टर के अनुरुप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों कें बैकलॉग को सम्मिलित करते हुये दर्शाये गये हैं।

2.1 महिलाओं के लिए :–

2.1.1 विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यार्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रुप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यार्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है, आनुपातिक रुप से समायोजित किया जायेगा।

2.1.2 राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 7 (2)डीओपी/ए–2/88/पार्ट–I दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।

2.1.3 किसी वर्ग–विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं और विच्छिन विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। ऐसी रिक्तियां पश्चात्‌वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी।

2.1.4 स्पष्टीकरण :–

2.1.4.1 विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

2.1.4.2 किसी वर्ग (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

2.2 अनुसूचित (टी.एस.पी.) **क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए :–**

2.2.1 राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 13 (20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 16.06.13 के प्रावधानुसार जिला उदयपुर एवं सिरोही के उन क्षेत्रों जिन्हें ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यथियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

2.2.2 **उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए :–**

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 5 (31)कार्मिक/क–2/84/15.03.13 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए रिक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रुप से माना जाएगा और इसका समायोजन उस संबंधित प्रवर्ग में किया जाएगा जिससे खिलाडी सम्बद्ध है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्‌वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण :– उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :–

(1) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(2) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गैम्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(3) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोटर्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(4) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोशिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के आल इण्डिया इन्टरयूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

उक्त पदों की कार्य प्रकृति को देखते हुए इन पदों पर निःशक्तजनों का आरक्षण देय नहीं होगा।

राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी :—

राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग /विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।

3.आवेदन एवं परीक्षा शुल्कः—

अभ्यर्थी का वर्ग	वन विभाग को देय परीक्षा शुल्क रू0	RISL को देय शुल्क मय कर रू0	वनरक्षक के लिये कुल देय शुल्क रू0
	वनरक्षक	वनरक्षक	
(1)	(2)	(3)	(4)
Un- reserved / All creamy layer of Rajasthan and All applicants from out of Rajasthan	277.20	22.80	300.00
Backward Class of non-creamy layer/SBC (For Rajasthan Domicile)	177.20	22.80	200.00
SC/ST (For Rajasthan Domicile) / Saharia of Shahbad and Kishanganj Tehsils of Baran	77.20	22.80	100.00

3.1 ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराने के लिये उनको दिया जाने वाला शुल्क रू 10/—

3.2 ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से आवेदन सम्बन्धी अन्य कार्य जैसे आवेदन भरना, प्रिंट लेना आदि के लिये पृथक से ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) पर उपलब्ध स्वीकृत रेट लिस्ट के अनुसार शुल्क देना होगा।

3.3 अभ्यर्थी आवेदन करने एवं फीस जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वे इस भर्ती हेतु विवरणानुसार पूर्ण अर्हता रखते हैं। किसी अभ्यर्थी की पात्रता पूर्ण न होने के कारण होने वाली किसी समस्या के लिये राजस्थान वन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

4. शैक्षणिक योग्यताः— किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य अर्हता उत्तीर्ण होनी चाहिए।

नोटः— ऐसे अभ्यर्थी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्यनरत है, आवेदन कर सकते है परन्तु उन्हें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता से पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र अंक तालिका प्रस्तुत करना है। लिखित परीक्षा के समय उक्त शैक्षणिक योग्यता में सम्मिलित होने का बोर्ड/संबंधित विद्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

5. आयुः—

आवेदन करने की तिथि की आगामी 1 जनवरी (अर्थात 1 जनवरी 2016) को निम्न सारणी में इंगित सीमा के अंदर होनी चाहिए। महिलाओं, भूतपूर्व, सैनिको, आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों सरकारी स्थायी कर्मियों के लिये नियमों में वर्णित आयु संबंधी छूट देय होगी, जिनकी जानकारी भी निम्न सारणी में इंगित है।

	1.1.2016 को न्यूनतम आयु(वर्ष)	1.1.2016 को अधिकतम आयु(वर्ष)	वर्ष 2013 में भर्ती नहीं होने के कारण अधिकतम आयु मे देय छूट के बाद निर्धारित अधिकतम आयु (वर्ष)	तिथि जिसके पश्चात जन्म न हुआ हो	तिथि जिससे पूर्व जन्म न हुआ हो
राजस्थान डोमिसाइल के अनारक्षित वर्ग के/राजस्थान से भिन्न राज्य के डोमिसाइल वाले समस्त अभ्यर्थी					
पुरुष	18	24	27	1जनवरी 1998	02.01.1989
महिला	18	29	32	1जनवरी 1998	02.01.1984
विधवा/तलाकशुदा महिला	18	59	59	1जनवरी 1998	02.01.1957
भूतपूर्व सैन्यकर्मी	18	50	50	1जनवरी 1998	02.01.1966
राज्स्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी	18	40	40	1जनवरी 1998	02.01.1976
राजस्थान डोमिसाइल के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीसी/ एसबीसी/ सहरिया अभ्यर्थी					
पुरुष	18	29	32	1जनवरी 1998	02.01.1984
महिला	18	34	37	1जनवरी 1998	02.01.1979
विधवा/तलाकशुदा महिला	18	59	59	1जनवरी 1998	02.01.1957
भूतपूर्व सैन्यकर्मी	18	50	50	1जनवरी 1998	02.01.1966
राज्स्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी	18	40	40	1जनवरी 1998	02.01.1976

6.निर्धारित शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता प्रतिमानः– वनरक्षक पद के लिये शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता प्रतिमान निम्नानुसार निर्धारित हैः–

		निर्धारित मापदण्ड / प्रतिमान	
		पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
1	ऊंचाई	163 सेन्टीमीटर	150 सेन्टीमीटर
2	सीने का घेरा (सेमी.)		
	(अ) सामान्य	84 सेन्टीमीटर	79 सेन्टीमीटर
	(ब) फैलाव	5 सेन्टीमीटर न्यूनतम	5 सेन्टीमीटर न्यूनतम
3.	पद चाल परीक्षण	25 किलोमीटर की दूरी तय करना 4 घण्टे में	16 किलोमीटर की दूरी तय करना 4 घण्टे में
4	सिट अप्स	1 मिनट में 25 दोहराव	–
5.	शॉट पुट (4 कि.ग्रा.)	–	4.5 मीटर
6.	किकेट बाल फेंक (थ्रो)	55 मीटर	–
7.	स्टैण्डिंग ब्रॉड जम्प्स	–	1.35 मीटर

नोटः–

6.1 सिट अप्स के लिए अभ्यर्थी अपनी पीठ के बल लेटेगा, टखनों को थामने के लिए सहारे के साथ उसकी टांगे पूर्णरूप से तनी हो और अपने उपरी शरीर को उठायेगा। उठते समय अपने उपरी शरीर को कम से कम 90 डिग्री तक उठायेगा। (शरीर को जमीन के साथ लम्बवत करते हुए) उसकी टॉगें उठनी नही चाहिए।

6.2 स्टैण्डिग ब्रॉड जम्पस के लिए, अभ्यर्थी स्थिर दशा (बिना दौड लगाये) से कूदेगी और कूदने के साथ ही साथ टेक लगाते समय दोनो टांगों को साथ–साथ रखेगी।

6.3 उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 4 से 7 तक प्रत्येक मद के लिए दो अवसर दिये जायेंगे। क्रम संख्या 3 के लिए एक अवसर दिया जायेगा।

6.4 शारीरिक दक्षता परीक्षण समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेंगा।

6.5 शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को 20 अंक दिये जावेगें।

6.6 भर्ती प्रकिया के संबंध मे उठने वाले किसी विवाद पर नियमानुसार गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

7.आवेदन प्रकियाः–

7.1 भर्ती हेतु आवेदन केवल Online Application Form में लिये जायेगे। यह आवेदन अभ्यर्थी द्वारा स्वंय अथवा ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से भरे जा सकेंगे। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र/हार्ड कापी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेगे।

7.2 परीक्षा शुल्क व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित शुल्क की राशि ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र पर केवल नगद राशि के रूप में स्वीकार की जायेगी। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप परीक्षा शुल्क नगद जमा कराते समय अपना नाम, एव पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, लिंग एवं वैवाहिक स्थिति तथा कार्यालय (जिसमें आवेदन कर रहा है) भी उपलब्ध करायेगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत कम्प्यूटर द्वारा निकाली गयी पर्ची जिसमें उक्त सूचनाओं के साथ टोकन नंबर जारी किया जायेगा, अभ्यर्थी को उपलब्ध करायी जायेगी जिसको रसीद माना जावेगा। **अभ्यर्थी इस टोकन नंबर को संभाल कर रखे क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रवेश पत्र आदि के लिये भी पडेगी।**

7.3 अभ्यर्थी www.rajforest.nic.in पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। इसी वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उपलब्ध होंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र में शुल्क जमा कराते समय प्राप्त टोकन नंबर भरना होगा जिसके पश्चात ही ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। इस ऑनलाईन आवेदन पत्र में शुल्क जमा कराते समय दी गयी जानकारी अंकित होगी और यह बदली नहीं जा सकेगी। अभ्यार्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिये अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज (4.5X 3.5 cm) की स्केन्ड कॉपी अपने हस्ताक्षर की स्केन्ड कॉपी तथा अपने दायें अँगुठे के निशान की स्केन्ड कापी अपलोड करेगा। यह सुविधा अतिरिक्त भुगतान पर ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र पर भी उपलब्ध होगी। पूरा आवेदन भी ई–मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भराया जा सकेगा जिसके लिये स्वीकृत रेट लिस्ट के अनुसार भुगतान देय होगा।

7.4 अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र कमांक (application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। यदि यह प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। **आवेदन पत्र कमांक (application ID) को संभाल कर रखे क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रवेश पत्र आदि के लिये भी पडेगी।**

7.5 **आर्नलाइन आवेदन करने हेतु दिशा निर्देश** :–

7.5.1 आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप www.rajforest.nic.in से डाउनलोड कर इसे ऑनलाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भरें तत्पश्चात ऑनलाईन आवेदन करें।

7.5.2 आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गयी है।

7.5.3 आवेदक एक ही कार्यालय के लिए आवेदन करे। एक से अधिक कार्यालय के लिए आवेदन करने पर केवल एक ही कार्यालय के आवेदन को स्वीकार करते हुए शेष आवेदन निरस्त कर दिये जावेगे।

7.5.4 ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन रद्द किया जायेगा तथा आवेदक को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में सुधार हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7.5.5 आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

7.5.6 सर्वप्रथम वेबसाइट www.rajforest.nic.in पर जाकर पूर्ण विज्ञप्ति पढ लें तथा यह सुनिश्चित कर ले कि आप के पास पद के लिये समस्त आवश्यक अहर्ता है।

7.5.7 इसी बेबसाईट पर उपलब्ध खाली आवेदन पत्र को पढ ले तथा उसमें भरी जाने वाली जानकारी पृथक से नोट कर ले। यह जानकारी आवेदन पत्र भरते समय आपके पास होने से आवेदन पत्र भरने में सुविधा होगी।

7.5.8 इसी वेबसाईट पर उपलब्ध Step-by-Step Instructions तथा अन्य जानकारी भी भली भॉति पढ लें तथा आवेदन भरने के लिये आवश्यक सामग्री साथ लेकर आवेदन पत्र भरने का आंरभ करे।

7.5.9 ई–मित्र अथवा जन सुविधा केन्द्र (CSC) पर जाकर वनरक्षक भर्ती के लिये निर्धारित शुल्क जमा करावे। शुल्क जमा कराते समय जो जानकारी (नाम, पिता का नाम, आयु,वर्ग, कार्यालय जिसमें आवेदन करना है, आदि) दी जायेगी वह ई–मित्र अथवा जन सुविधा केंद्र(CSC) के संचालक द्वारा कम्प्यूटर पर भरी जाकर एक 16 अंकों की टोकन सं0 उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे आवेदक संभाल कर रखे। ध्यान रहे कि इस समय दी गई जानकारी सही हो क्योकि यह आवेदन पत्र भरते समय बदली नही जा सकती है। आवेदक द्वारा स्वंय के स्तर पर भी online भुगतान किया जाकर टोकन न0 प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये इसी वेबसाईट पर E-Mitra Portal लिंक दिया गया है।

7.5.10 आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वंय अथवा ई–मित्र अथवा जनसुविधा केद्र (CSC) संचालक के माध्यम से भरा जा सकता है जिसके लिये इन केंद्रो पर उपलब्ध रेट लिस्ट के अनुसार भुगतान देय होगा।

7.5.11 आवेदन भरने के लिये वेबसाईट www.rajforest.nic.in पर जाकर Apply Online क्लिक करें। नये स्क्रीन पर टोकन संख्या तथा जन्मतिथि भरने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये उपलब्ध होगा। टोकन प्राप्त करते समय दी गई जानकारी इस आवेदन पत्र में स्वत ही भरी जायेगी और अपरिवर्तनीय होगी। शेष जानकारी भरने तथा फोटो आदि अपलोड करने के पश्चात् आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है अथवा आवेदन के पास वांछित अर्हता नही है तो स्क्रीन पर चेतावनी आयेगी। यदि आवेदन पत्र सही है तथा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है तो एक आवेदन आई.डी प्राप्त होगा जिसे आवेदक संभाल कर रखे। आवेदक भरे हुये आवेदन पत्र की प्रतिलिपी का प्रिंट अपने पास रखे।

7.6 **लिखित परीक्षा प्रवेश पत्रः–** यदि आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात ऑनलाईन ही जारी किये जायेंगे, ओर डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नही भेजा जायेगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आवेदन पत्र कमांक (**application** I.D.) एवं 16 अंकों की टोकन नंबर के आधार पर वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी ने एक से अधिक कार्यालयों के लिए आवेदन किया है तो अभ्यर्थी केवल एक ही कार्यालय के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करे सकेगा। परीक्षा के समय आवेदक प्रवेश पत्र पर एक फोटो चिपकाकर अपने वैध पहचान पत्र (Passport, Photo PAN Card, Driving License, Aadhar Card, Photo Voter ID, Government / Defence Photo ID Card) के साथ परीक्षा में उपस्थित होगा।

8. **भर्ती हेतु चयन प्रकियाः–**

8.1 **लिखित परीक्षाः–** लिखित परीक्षा संपूर्ण राज्य में एक ही तिथि व समय पर एक साथ आयोजित की जावेगी। लिखित परीक्षा हिंदी माध्यम में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकृति के प्रश्नों पर आधारित होगी जिसके पूर्णाक सौ अंक होगे। लिखित परीक्षा के प्रश्नों में राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो, पर वस्तुपरक (Objective) प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होंगे।

8.2 **मापतोल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षाः–** लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मापतोल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जायेगा। जो अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें अग्रिम चयन प्रकिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

8.3 **साक्षात्कारः–** उपरोक्त दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यथियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार दस अंकों का होगा।

8.4 **चयन सूचीः–** साक्षात्कार में सफल अभ्यथियों की चयन सूची जारी की जायेगी।

8.5 **स्वास्थ्य परीक्षणः–** मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा।

8.6 **प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापनः–** चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच कराई जावेगी।

8.7 वनरक्षक के पद पर भर्ती हेतु प्रत्येक नियुक्ति कार्यालय द्वारा अंतिम चयन में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्राप्त अंको को विचार में लिया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए प्रत्येक वर्ग अर्थात अनु0जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और अनारक्षित में के बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार मैरिट अनुसार रिक्तियों की संख्या के पांच गुणा तक निर्धारित निर्वहित होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो शारारिक दक्षता परीक्षण अर्हित करते है वे नियुक्ति हेतु गठित समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेगे। इसमें अभ्यर्थी की उपयुक्तता विनिर्णीत करने के लिए अभिरूचि .और व्यक्तित्व निर्धारण अन्तर्विष्ठ होगा। समिति ऐसे अभ्यर्थियों की जो शारारिक दक्षता परीक्षण अर्हित करे, और जिन्ह वे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें, एक सूची तैयार करेगे और उसे प्रत्येक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा, बीस अंक के शारारिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार में प्रदान किये गये अंको के योग के आधार पर योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेगी। नियुक्ति दिये जाने से पूर्व अभ्यर्थी को नियत तिथि तक निर्धारित शारीरिक मापदण्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र पूर्णतः धारित करने बाबत् मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहेगे उनको नियुक्त नही किया जावेगा।

9. **भर्ती कार्यकमः–**

(1) आवेदन शुल्क जमा करने की अवधि–16.11.2015 से 30.11.2015
(2) ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि– 01.12.2015
(3) ऑनलाईन प्रवेश पत्र प्राप्त करने की अवधि –14.12.2015 से 18.12.2015
4) लिखित परीक्षा की तिथि – 31 दिसम्बर 2015 समय प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक
.(5) शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि– पृथक से सूचित की जायेगी।
(6) साक्षात्कार की तिथि– पृथक से सूचित की जायेगी।

10. नियुक्ति के लिए अयोग्यताः–

10.1 किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि हो नियुक्ति के लिए पात्र नही माना जावेगा।

10.2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसकी पहली पत्नि जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नही माना जायेगा।

10.3 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् 2 से अधिक संतान हो, सेवा की नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

10.3.1 परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नही समझा जावेगा, जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती।

10.3.2 परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।

10.3.3 परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नही की जाएगी।

10.4 राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प–6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।

10.5 किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नही माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।

10.6 स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है (सेन्टल एक्ट 28 आफ 1961)

10.7 भूतपूर्व सैनिको को देय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हे आयु सीमा से लाभ देय नही होगा। भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिको का लाभ देय नही होगा।

10.8 आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (डीबार) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (डीबार) होते की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नही हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करे।

10.9 नैतिक अक्षमता (moral turpitude) के अपराध में दोषसिद्व अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नही होगे।

11.आवश्यक प्रमाण–पत्र–

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होगे–

11.1 समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

11.2 आयु प्रमाण–पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नही है तो)

11.3 अभ्यर्थी यदि अनुसचित जाति/जनजाति/ पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग से सम्बधित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र।

11.4 यदि आवेदक राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

11.5 अंतिम शैक्षाणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण–पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नही होने चाहिए।

11.6 भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने को प्रमाण पत्र/ पेंशनर होने का प्रमाण पत्र।

11.7 आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त विर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5x3.5 सेमी.) फोटो।

11.8 विधवा के मामलें में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।

11.9 अन्य वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र

12.महत्वपूर्ण निर्देश

12.1 **नियुक्त वनरक्षक को राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा तथा दो वर्ष से पूर्व अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।**

12.2 जिस कार्यालय में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त है उन्ही के लिए आवेदन–पत्र स्वीकार्य होगे।

12.3 आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन–पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रकिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति देने के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए विधि संगत कार्यवाही कर नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही भी की जाऐगी।

12.4 निरस्त किए गये आवेदन–पत्र के अभ्यर्थी को शुल्क की वापसी नही की जाएगी। यदि आवेदन पत्र आनॅलाइन स्वीकृत होता है परन्तु किन्ही कारणों (जिसमें साफ्टवेयर में त्रुटि शामिल है) से बाद में आवेदन निरस्त होने योग्य पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जायेगा। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता के संबंध में सुनिश्चित हो लें।

12.5 राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

12.6 आवेदक को चयन प्रकिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नही होगा।

12.7 परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नही लेने दिया जाएगा।

12.8 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती है। तथापि शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर दुबारा अवसर नहीं दिया जावेगा।

12.9 परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में अनुचित सामग्री लाना, उसका उपयोग करते हुए पाये जाना, छद्मवेश में कार्य करना अथवा तत्थात्मक सूचना को छिपाना, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है एवं इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जायेगा। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हे आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाऐगा।

12.10 शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा।

12.11 उक्त भर्तियां राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अन्तर्गत की जावेगी।

(डॉ0 सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान जयपुर